न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़

क्रमांक / रीडर / 2024 / 29 दिनांकः- 08/01/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषयः— प्रकरण संख्या 03 / 2022 अनवानी हरेन्द्र चौधरी बनाम मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण निर्णय दिनांक 03.01.2024 की पालना के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण संख्या 03 / 2022 अनवानी हरेन्द्र चौधरी बनाम मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण निर्णय दिनांक 03.01.2024 के निर्णय की प्रति इस पत्र के संलग्न कर भिजवायी जा रही है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो नियमानुसार निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— निर्णय प्रति

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 03/2022

अनवान : –

1. हरेन्द्रा चौधरी पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी सूरतगढ़ तहसील नोहर।
2. राजेन्द्रा पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बॉके जरिये पुजारी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बांके कस्बा नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

3. झूमरमल पुत्र चेतराम जाति छिम्पा (छिम्पी) निवासी नोहर तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थी

4. शंकरलाल पुत्र मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी गांधी मूर्ति के पीछे गांधीनगर नोहर तहसील नोहर।
5. कन्हैयालाल पुत्र मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी गांधी मूर्ति के पीछे गांधीनगर नोहर तहसील नोहर।
6. सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी गांधी मूर्ति के पीछे गांधीनगर नोहर तहसील नोहर।
7. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर।
8. कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–1. **श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी**
3. **पेरोकार राज**

निर्णय दिनांकः 03/01/24

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 66/33 के खसरा न0 119/3 की 0.8880 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 68 की 1.3280 हैक्ट, खसरा न0 69 की 2.6065 हैक्ट, खसरा [illegible] की 0.5310 हैक्ट, खसरा न0 74 की 2.5100 हैक्ट, खसरा न0 75 की 1.7580 हैक्ट, खसरा [illegible]6 की 1.6310 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई भी नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण के लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मन्जुर शुदा रास्ता जो खसरा न0 71 में स्थित है तथा उक्त रास्ता से खसरा न0 69 के पश्चिमी किनारें से दक्षिण से उत्तर चलकर प्रार्थीगण अपने खेत के खसरा न0 119/3 में पंहूच जाते है तथा खसरा न0 69 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत के उपयोग व उपभोग के लिए रास्ता अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा न0 69 के पश्चिमी किनारे से दक्षिण से उत्तर 2–2 गठठा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 69 के पश्चिमी किनारे से दक्षिण से उत्तर 2–2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी शंकरलाल, कन्हैयालाल, सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द जाति ब्राहमण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की प्रार्थी के खेत के ख0न0 61 की भूमि नजदीक है तथा प्रार्थीगण को खसरा न0 67 से सीधा व सरल रासता है तथा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की भूमि से कभी भी प्रार्थी का आवागमन नही रहा है। उत्तरदाता पुजारी के रूप में कार्यरत है इसलिए देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया चाहिए ताकी देवस्थान विभाग अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष सही रूप से रख सके। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) जाब्ता दीवानी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) जाब्ता दीवानी को स्वीकार किया गया। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर व सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड हनुमानगढ़ को पक्षकार अप्रार्थी संख्य 7 व 8 पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार नोहर के पत्रांक 297 दिनांक 07.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी वर्तमान में ख0न0 69 की पश्चिम दिशा का रास्ता काम में ले रहे है। अतः खसरा न0 69 की सीमा पर 2– 2 गठठा रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है तो 600 फिट लम्बाई में 16–1/2 चौड़ा रास्ता कुल 0.09196 हैक्ट रास्ता स्वीकृत होगा। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिया जाना आवश्यक है की अनुशंषा की गई है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 69 की पश्चिमी दिशा से दक्षिण से उत्तर 2–2 गठठा रास्ता मंजुर करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 66/33 के खसरा न0 119/3 की 0.8880 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 68 की 1.3280 हैक्ट, खसरा न0 69 की 2.6065 हैक्ट, खसरा न0 70 की 0.5310 हैक्ट, खसरा न0 74 की 2.5100 हैक्ट, खसरा न0 75 की 1.7580 हैक्ट, खसरा न0 76 की 1.6310 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खसरा न0 69 के पश्चिम दिशा में से होकर खसरा न0 119/3 अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है जो की सबसे सुविधाजनक व प्रार्थीगण के पास रास्ता स्वीकृत करवाने के अलावा कोई विकल्प नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता नही है जो की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 69 के पश्चिमी किनारे से दक्षिण से उत्तर 2–2 गठठा दिया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता संख्या 49/45 के खसरा न0 69 के पश्चिमी किनारे से दक्षिण से उत्तर 2–2 गठठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि में आने वाली भूमि की एवज में उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के चिपती भूमि को प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में से कम की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 69 व 119/3 की नक्शा तरमीम दुरूस्त की जावे। नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested